पत्रिका

सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर सुनवाई से इनकार

बड़े फैसले

रायपुर में चाकूबाजी कर मोबाइल लूट पर संभवतः पहली बार कठोर सजा

भूपेश-चैतन्य को हाईकोर्ट जाने के निर्देश

पूर्व सीएम बघेल कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में हैं आरोपी

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर . पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए दायर याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया और दोनों को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होकर 6 अगस्त को सुनवाई रखी है। शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों को 3200 करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ। ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आईटीएस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया था। ईडी ने चैतन्य बघेल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना है।

रसूखदार की गिरफ्तारी पर ही सवाल क्यों

पीएमएलए कानून को लेकर कोर्ट ने कहा कि इस कानून पर सवाल तभी क्यों उठता है, जब कोई रसूखदार गिरफ्तार होता है। भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप और कोयला घोटाले में वहीं चैतन्य छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं।

चैतन्य की न्यायिक रिमांड 18 तक बढ़ी

रायपुर. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में चैतन्य बघेल को 18 अगस्त के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश को बताया कि शराब घोटाले से अर्जित ब्लैकमनी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद किया गया है।

मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद

13000 का मोबाइल... 90 हजार जुर्माना और उम्रकैद का सुनाया फैसला

रायपुर @ पत्रिका . मोबाइल लूट के तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। राजधानी का यह संभवतः पहला मामला होगा जब इस तरह की लूट में बड़ी सजा दी गई हैं। दोषियों ने युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे 13000 रुपए का मोबाइल लूट लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने दोषियों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।

आम नागरिक का जीवन असुरक्षितः न्यायाधीश

न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। इसलिए केवल चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या किसी समय घर से घूमने या कहीं जाने के लिए निकलता है और उस व्यक्ति के साथ लूटपाट करके धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति तथा उसके परिवार एवं आस-पास के लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपराध करने वाले को कम सजा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सितंबर 2022 को हुई थी वारदात

1 सितंबर 2022 को गुढ़ियारी निवासी देवेन्द्र साहू मार्निंग वॉक पर निकला था। गुढ़ियारी के ही शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा (25) ने चाकू से हमला करके उसका मोबाइल लूट लिया। भागते समय देवेन्द्र ने वाहन का नंबर नोट कर लिया था। गिरफ्तारी हुई और न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई।

05/08/2025 | Raipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/